	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 16, सोमवार, शाके 1945-अगस्त 07, 2023 *Sravana 16, Monday , Saka 1945- August 07, 2023*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 07, 2023

जी.एस.आर.61 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 187 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान राज्य के राज्यपाल, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) (दूसरा संशोधन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 9 का संशोधन.- राजस्थान विधानसभा सचिवालय (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1992, जिन्हें इसमें इसके पश्चात उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 9 में विद्यमान उप-नियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित नया उप-नियम (5) जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

''(5) जहां राजस्थान न्यायिक सेवा के किसी सेवानिवृत्त अधिकारी को प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है वहां, उसकी नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से अधिक की नहीं होगी और इस प्रकार नियुक्त कोई भी अधिकारी 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पद धारण नहीं करेगा। इस प्रकार नियुक्त किये गये सेवानिवृत्त अधिकारी को ऐसे पेंशन घटाकर अंतिम आहरित वेतन और अन्य भत्ते एवं सुविधाएं संदत्त की जायेंगी जो किसी सेवारत जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) को अनुज्ञेय हैं।''

3. अनुसूची में संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची में शीर्ष **राजस्थान विधानसभा सचिवालय सेवा** के अधीन, क्रम संख्यांक 1 के सामने स्तम्भ 3 में, विद्यमान मद (ख) के पश्चात् निम्नलिखित नयी मद (ग) जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

''(ग) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि अध्यक्ष ऐसा करना वांछनीय समझे तो प्रमुख सचिव के पद को किसी सेवानिवृत्त अधिकारी, जो जिला न्यायाधीश (सुपर टाइम स्केल) के रूप में कार्य कर चुका हो और जिसके पास राजस्थान विधानसभा और संसदीय कार्य विभाग में कार्य करने का अनुभव हो, को नियुक्त करके भर सकेगा।''

[सं.एफ. 8(1)संसद/2014]
राज्यपाल के आदेश से,

ज्ञान प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव।

Parliamentary Affairs Department

NOTIFICATION

Jaipur, August 07, 2023

G.S.R.61 .-In exercise of the powers conferred by clause (3) of Article 187 of the Constitution of India, the Governor of the State of Rajasthan, after consultation with the Speaker of the Rajasthan Legislative Assembly, hereby please to make the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) (Second Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 9.- In rule 9 of the Rajasthan Legislative Assembly Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1992, hereinafter referred to as the said rules, after the existing sub-rule (4), the following new sub-rule (5) shall be added, namely:-

"(5) Where a retired officer of the Rajasthan Judicial Service is appointed as the Principal Secretary, his term of appointment shall not exceed five years and no officer so appointed shall hold office after attaining the age of 70 years. The retired officer so appointed shall be paid last drawn pay minus pension and other allowances and facilities as are admissible to the serving District Judge (Super time Scale). ''

3. **Amendment of Schedule.-** In Schedule appended to the said rules, under the heading Rajasthan Vidhan Sabha Secretariat Service, in column 3 against serial number 1, after the existing item (b), the following new item (c) shall be added, namely:-

"(c) Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker, if he thinks so desirable, may fill the post of Principal Secretary by appointing a retired officer who has served as District Judge (Super time Scale) and having experience of working in the Rajasthan Legislative Assembly and Parliamentary Affairs Department."

[No. F.8 (1)Sansad/2014]

By order of the Governor,

Gyan Prakash Gupta,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.